



बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

## Citizen Service (नागरिक सुविधाओं) के बारे में जानकारी - भाग-3

घर बैठे अपनी जमीन का लगान Online भुगतान करें।

### भू-लगान सुविधा का लाभ उठायें

①

<https://biharbhumi.bihar.gov.in/> को खोलें तथा "भू-लगान" पर क्लिक करें।

②

अगर आप registered User हैं तो आप अपना मोबाइल no की मदद से लॉगिन करें (अगर नए User हैं तो पहले आप रजिस्ट्रेशन करें) तथा लॉगिन के पश्चात "लगान भुगतान करें" पर क्लिक करें।

④

देखें बटन click करने के पश्चात् जमाबंदी तथा लगान से संबंधित सभी सूचनाएँ तथा बकाया राशि कम्प्यूटर के स्क्रीन पर दिखने लगेगी।

⑤

लगान राशि भुगतान करने के लिए अपना नाम, मोबाइल संख्या तथा पता लिखकर ऑनलाइन भू-लगान भुगतान करने हेतु 'आनलाईन भुगतान करें' बटन पर click करें।



③

उसके बाद जिस जमाबंदी का लगान भुगतान करना है उस जमाबंदी का जिला, अंचल, हलका, मौजा एवं जमाबंदी से संबंधित विवरण (यथा भाग-पृष्ठ, रैयत नाम, खाता, खेसरा, जमाबंदी सं0 कम्प्यूटराइज्ड जमाबंदी सं0 आदि) भरकर रैयत अपनी जमाबंदी पंजी के पेज को खोजें, जिसके पश्चात् अपनी जमाबंदी के आगे दिये गये 'देखें' बटन पर click करें।

⑥

अब रैयत को लगान भुगतान करने हेतु वेब-पेज दिखाई देगा, जहाँ लगान भुगतान हेतु दो विकल्प उपलब्ध होंगे।

⑦

#### E-payment

- Online net banking -PNB, IDBI, SBI, UBI, Canara Bank, Bank of Baroda only.
- UPI-SBI
- Debit and Credit Card- SBI

⑦

- Payment over the bank counter through challan (Only PNB & SBI)

⑧

E-payment के माध्यम से भू-लगान के सफल भुगतान के बाद रैयतों को लगान रसीद की प्रति प्राप्त हो जाएगी।

⑧

बैंक चलान की प्रति प्राप्त होगी, जिसे रैयत अपने बैंक में जाकर challan के माध्यम से भू-लगान का भुगतान कर सकेंगे तथा लगान रसीद की प्राप्ति वे अपने जमाबंदी पंजी पृष्ठ से देख सकेंगे।